भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1187
(16 दिसम्बर, 2013 को उत्तर दिए जाने के लिए)

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत निधियों का उपयोग

1187. डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी राज्य सरकारों ने स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत उन्हें आवंटित निधियों का उपयोग कर लिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यों द्वारा अप्रयुक्त निधियों का आंध्र प्रदेश सहित राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) उक्त योजना के अंतर्गत राज्यों को आवंटित निधियों का उपयोग करने हेतु राज्यों को प्रेरित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रदीप जैन 'आदित्य')

(क) से (ग): विगत तीन वर्षों के दौरान स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत आवंटित तथा खर्च की गई और आंध्र प्रदेश सहित अन्य राज्यों के पास अप्रयुक्त पड़ी शेष राशि का ब्यौरा अनुबंध-। में दिया गया है। कुछ राज्यों के पास निधियों के अप्रयुक्त पड़े रहने के कारण इस प्रकार हैं:

(i) राज्यों में ग्रामीण निर्धनों के पास जानकारी की कमी
(ii) राज्यों में योग्य स्व-सहायता समूहों की कम मौजूदगी;
(iii) लाभार्थियों की क्षमता का पूरी तरह विकास न होना, ऋण की कम उपलब्धता तथा कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाले संवेदनशील पेशेवरों की कमी;
(iv) विभिन्न स्तरों पर मौजूदा योजनाओं/कार्यक्रमों के साथ बेहतर तालमेल न होना।

(घ): एसजीएसवाई को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (आजीविका) के रूप में पुनर्गठित किया गया है और इसे 3 जून, 2011 को शुरू किया गया था। दो वर्षों की बदलाव की अवधि के पश्चात एसजीएसवाई को 1.4.2013 से बंद कर दिया गया है। एसजीएसवाई की प्रतिबद्ध देयताओं को समायोजित किए जाने के पश्चात इसके तहत अप्रयुक्त शेष राशि का उपयोग अब एनआरएलएम के अंतर्गत किया जाएगा। निधियों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए किए गए कुछ उपाय हैं- बनाए गए नए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का व्यापक क्षमता

निर्माण और हैंडहोल्डिंग सहायता, एसआरएलएम द्वारा आवधिक रिपोर्टों की प्रस्तुति, मंत्रालय की निष्पादन समीक्षा समिति की आवधिक बैठक, उपयोग प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया पर नजर रखना, तृतीय पक्ष द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना, राष्ट्र-स्तरीय निगरानीकर्ताओं के माध्यम से निगरानी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा विभिन्न राज्यों का दौरा।

लोक सभा में दिनांक 16.12.2013 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1187 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

अनुबंध- I

एसजीएसवाई के अंतर्गत राज्य-वार केंद्रीय आवंटन,रिलीज, व्यय और खर्च न की गई राशि की स्थिति

(रू. लाख में)

क्र. सं.	राज्य/सं.रा.क्षे. का नाम	2010-11				2011-12				2012-13			
		केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय रिलीज	व्यय*	खर्च न की गई राशि**	केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय रिलीज	व्यय*	खर्च न की गई राशि**	केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय रिलीज	व्यय*	खर्च न की गई राशि**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आंध्र प्रदेश	12557.00	12545.33	18460.59	407.84	11472.00	5736.00	8928.52	7037.69				
2	बिहार	29872.00	13874.71	27334.28	28360.87	27291.00	6733.98	14639.25	40305.88				
3	छत्तीसगढ़	6635.00	6584.38	7736.15	1785.87	6062.00	5815.41	7001.18	1334.53				
4	गोवा	200.00	70.60	77.89	189.01	176.00	25.87	61.59	389.78	175.00	25.72	0.00	25.72
5	गुजरात	4727.00	4614.50	6949.44	269.74	4318.00	3734.97	5316.70	674.69	4375.00	2095.52	5511.26	1247.73
6	हरियाणा	2781.00	2725.43	3907.13	145.06	2541.00	2499.56	3494.49	37.20	2574.00	2452.09	1844.59	3567.61
7	हिमाचल प्रदेश	1171.00	1096.00	1460.85	667.29	1070.00	777.60	1419.78	256.29	1084.00	552.50	1110.24	280.17
8	जम्मू व कश्मीर	1449.00	759.05	734.12	800.35	1324.00	576.72	525.25	635.57	1342.00	451.89	0.00	451.89
9	झारखंड	11264.00	10979.00	12369.65	9200.70	10290.00	6670.04	9041.79	4898.29				
10	कर्नाटक	9482.00	9369.50	12646.39	2339.58	8663.00	6775.01	11798.34	642.38	8777.00	5591.69	9246.29	1275.06
11	केरल	4255.00	4146.55	5851.54	170.38	3887.00	3792.71	5232.60	187.38				
12	मध्य प्रदेश	14214.00	13844.63	17926.16	3406.36	12986.00	11254.29	14810.33	3448.43				
13	महाराष्ट्र	18744.00	18560.25	22067.39	3421.95	17125.00	16979.23	23080.34	1129.86				
14	ओडिशा	14363.00	14061.13	17282.97	2550.97	13122.00	12119.13	17134.89	157.94				
15	पंजाब	1351.00	1247.66	1748.22	111.34	1235.00	988.96	1200.86	227.87	1251.00	276.32	363.40	1233.79
16	राजस्थान	7200.00	7183.13	9954.67	3394.95	6578.00	5936.96	10108.88	1936.40	6664.00	3332.00	8968.07	2321.67
17	तमिलनाडु	11103.00	11068.05	14835.21	470.35	10144.00	10134.27	9366.49	3628.70				
18	उत्तर प्रदेश	43006.00	42389.13	49220.95	24685.86	39290.00	28340.26	42832.96	17042.68	39827.00	22257.61	18353.13	25070.38
19	उत्तराखंड	2264.00	2155.25	3182.68	242.31	2069.00	2067.88	2646.01	326.14	2096.00	1811.94	1417.29	994.26
20	प.बंगाल	15962.00	15812.00	18897.82	2963.64	14582.00	13175.61	17000.05	4110.25	14773.00	12314.42	12559.07	4836.18
21	अं.और नि. द्वी.स.	25.00	10.84	25.64	18.82	25.00	12.48	20.06	7.00	25.00	8.47	0.00	8.47
22	दमन व दीव	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00		25.00	0.00	0.00	
23	दादर व नगर हवेली	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	
24	लक्षद्वीप	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	12.50	0.00	12.50	25.00	0.00	0.00	
25	पुदुचेरी	300.00	250.00	148.52	218.74	275.00	137.50	210.88	1.82	275.00	0.00	0.00	
	कुल	**213000.00**	**193347.09**	**252818.26**	**85871.98**	**194600.00**	**144296.94**	**205871.24**	**88454.27**	**83313.00**	**51170.17**	**59373.34**	**41312.93**
	पूर्वोत्तर राज्य												
1	अरूणाचल प्रदेश	692.00	518.87	135.87	587.92	678.00	343.26	86.09	403.12	623.00	219.70	0.00	219.70
2	असम	17988.00	20301.85	21924.00	4963.40	17628.00	10836.74	19553.00	7.36			0.00	10590.29
3	मणिपुर	1206.00	1187.18	360.69	949.41	1182.00	618.82	364.46	400.02	1086.00	594.24	0.00	594.74
4	मेघालय	1351.00	836.70	818.23	687.66	1324.00	391.85	787.53	181.63	1216.00	253.07	115.92	149.16
5	मिजोरम	313.00	443.85	493.21	93.30	306.00	306.03	347.45	5.65	281.00	140.52	0.00	281.00
6	नागालैंड	927.00	872.14	399.91	490.34	908.00	697.14	518.92	331.55	834.00	497.83	0.00	497.83
7	सिक्किम	346.00	483.80	373.35	470.35	340.00	170.00	451.46	56.61	313.00	0.00	0.00	
8	त्रिपुरा	2177.00	2490.10	3080.41	26.08	2134.00	2134.01	1743.98	674.29	1960.00	1528.53	275.77	1303.86
	कुल	**25000.00**	**27134.49**	**27585.67**	**8268.46**	**24500.00**	**15497.85**	**23852.89**	**2060.23**	**6313.00**	**3233.89**	**391.69**	**13636.58**
	कुल योग	**238000.00**	**220481.58**	**280403.93**	**94140.44**	**219100.00**	**159794.79**	**229724.13**	**90514.50**	**89626.00**	**54404.06**	**59765.03**	**54949.51**

* खर्च उपलब्ध निधि से किया गया है। उपलब्ध निधि में राज्य अंश, अथशेष और विविध प्राप्तियां शामिल हैं।

** [illegible]